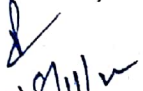
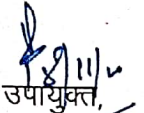


न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़
R.M.P.-01/2013-14

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़
बनाम
अमीरुद्दीन मोमीन वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
18.11.2022	<u>आदेश</u> यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक 155/डी0बी0, दिनांक 13. 03.2014 द्वारा प्राप्त उनके न्यायालय का राजस्व विविध वाद सं0-08/2012-13 के आलोक में प्रारंभ किया गया। मामला संक्षेप में यह है कि पाकुड़ अंचल अन्तर्गत मौजा-सोलागड़िया नं0-24 के दाग सं0- 671 अन्तर्गत रकवा 03-01-02 धुर जमीन पर बैंक ट्रेनिंग हॉल निर्माण के संबंध में अमीरुद्दीन मोमीन एवं नसीरुद्दीन मोमीन, पिता-इमारत मियां एवं रसीद मियां, पिता-बसीरुद्दीन मोमीन के द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन के आलोक में अंचल कार्यालय, पाकुड़ में राजस्व विविध वाद अभिलेख सं0-01/2012-13 प्रारंभ करते हुए जांच कराई गई। जांच में यह ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत भूमि का किस्म पुरातन पतित है तथा जिसकी बन्दोबस्ती अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा स्व0 इमारत मोमीन, पिता- स्व0 सहदुल मियां को दी गई थी। प्रश्नगत भूमि का बांसगाड़ी भी हो चुका है। आंशिक भूमि को छोड़कर पूर्व से ही खेती की जा रही है तथा इस पर स्व0 इमारत मोमीन के वंशज का शांतिपूर्ण दखल है। परन्तु प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण नहीं कराने के कारण बन्दोबस्ती को रद्द करने का प्रस्ताव भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पाकुड़ को दिया गया। भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को अग्रसारित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा यह कहते हुए अभिलेख इस न्यायालय को भेजा गया कि -“ प्रश्नगत भूमि की बन्दोबस्ती तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की गई थी। जिस न्यायालय द्वारा बन्दोबस्ती दी गई थी, उसी न्यायालय द्वारा बन्दोबस्ती को रद्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।” इस न्यायालय को अभिलेख प्राप्त होने पर 1. अमीरुद्दीन मोमीन, पिता- स्व0 इमारत मियां 2. नसीरुद्दीन मोमीन, पिता- स्व0 इमारत मियां 3. रसीद मियां, पिता-बसीरुद्दीन मोमीन सभी का सा0-सोलागड़िया, थाना-पाकुड़, जिला-पाकुड़ एवं 4. 16 आना रैयत मौजा-सोलागड़िया को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	गया। विपक्षी उपस्थित हुए। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत बहस को सुना गया। विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि खतियान में किस्म पुरातन पतित दर्ज है। उक्त भूमि की बन्दोबस्ती विपक्षी के पिता-इमारत मियां को तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा दी गई थी। बन्दोबस्ती प्राप्त होने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0-189/1957-58 में पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत भूमि की बांसगाड़ी कर दखल-कब्जा भी दिलाया गया। तब से आज तक उक्त भूमि पर उनका शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है एवं जोत-आबाद किया जा रहा है। विपक्षी भूमिहीन व्यक्ति है एवं जीविकोपार्जन का यही एक साधन है। उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत भूमि की बन्दोबस्ती रद्द करने का एकमात्र कारण यह दिया गया है कि इस भूमि का लगान निर्धारण नहीं कराया गया है। SPT Act 1949 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लगान निर्धारण नहीं होने पर बन्दोबस्ती को रद्द कर दिया जाए। SPT Act 1949 की धारा 33 में यह प्रावधान है कि यदि बन्दोबस्ती प्राप्त होने के 5 वर्ष तक कृषि कार्य नहीं की जाती है तो बन्दोबस्ती रद्द किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर बन्दोबस्ती के बाद से ही खेती की जा रही है। उनका आगे कहना है कि लगान निर्धारण कराने की कोई तय समय-सीमा निर्धारित नहीं है। जब भी लगान निर्धारण कराया जाएगा तब बकाया लगान की वसूली कर ली जाएगी। उनके द्वारा JLJR 2002(3) page no.-101 से 102 में प्रकाशित Udvipratap Singh Vs State of Bihar में पारित न्याय निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया कि केवल रेंट नहीं देने से उच्छेद नहीं किया जा सकता है या उसके दखल-कब्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके द्वारा बन्दोबस्ती रद्द करने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0-189/1957-58 का भी अवलोकन किया गया। उक्त अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि की बन्दोबस्ती इमारत मोमीन को तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा बन्दोबस्ती दी गई थी एवं प्रश्नगत भूमि का बांसगाड़ी भी वर्ष 1958 में किया जा चुका है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक 295/रा0, दिनांक 28.02.2018 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का दखल है एवं इसमें काफी समय पूर्व से खेती की जा रही है। यद्यपि आंशिक रकवा 00-17-02	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	धूर जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति का दखल प्रतिवेदित है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक 1040/रा0, दिनांक 12.09.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार राजस्व पंजी-II में उक्त भूमि की जमाबन्दी कायम नहीं है तथा उनके द्वारा लगान निर्धारण का कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। यह भी प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत भूमि के आंशिक रकवा पर मदन किस्कू के वंशज द्वारा धान की खेती की गई है एवं शेष रकवा परती है। पूछने विपक्षी द्वारा बताया गया कि वर्षा नहीं होने के कारण इस वर्ष खेती नहीं की गई है तथा कुछ भूमि बंटाई पर दिया गया है। SPT Act 1949 में पतित भूमि की बन्दोबस्ती रद्द करने का प्रावधान दिया गया है जिसके अनुसार यदि किसी भूमि की बन्दोबस्ती होने के बाद उसे 5 वर्षों के अन्दर जोत-आबाद नहीं किया जाता है तो बन्दोबस्ती निरस्त किया जा सकता है। परन्तु SPT Act 1949 में यह कहीं नहीं है कि लगान निर्धारण नहीं करने या लगान जमा नहीं करने के कारण बन्दोबस्ती को रद्द किया जा सकता है। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर प्रश्नगत भूमि की बन्दोबस्ती को रद्द करने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित  उपाध्याय, पाकुड़।  उपाध्याय, पाकुड़।	